संख्या-14/260/एक-1-2016-5(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः- वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 की तापीय विद्युत परियोजना हेतु वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क सड़क के लिये आवश्यक वन भूमि के डाइर्वजन हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 89 की उप धारा (3) के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1240/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन, दिनॉक 29.02.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 की तापीय विद्युत परियोजना हेतु वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क सड़क के लिये आवश्यक वन भूमि 8.3581 हेक्टेअर के बदले वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने हेतु ग्राम कुसियरा तहसील लालगंज जनपद मीरजापुर में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 89 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके कुल भूमि 8.3581 हेक्टेअर भूमि की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वेलस्पन एनर्जी तापीय विद्युत परियोजना हेतु भूमि का संक्रमण निर्धारित मानक के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के अधीन की जायेगी।

-2-

shasnadesh.up.nic.in

(3) वेलस्पन एनर्जी तापीय विद्युत परियोजना हेतु क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए भूमि क्रय किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(4) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(5) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं करेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की विहित सीमा से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8) वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु प्रभावित आरक्षित वन भूमि के बदले वन विभाग को भूमि उपलब्ध कराने हेतु संक्रमण किया जायेगा। प्रभावित वन भूमि से अधिक भूमि का संक्रमण नहीं किया जायेगा।

(9) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकारिणों में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण एवं विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपर्युक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। क्रय की गई भूमि का विवरण राजस्व विभाग तथा ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

-3-

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-260(1)/एक-1-2016-5(5)/2016 तद दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर ।
5. अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0, प्लाट न0 241/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, निकट ब्रह्म पुरी कालोनी, मीरजापुर।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।

shasnadesh.up.nic.in